न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 28/2016

1–रामदास पुत्र परसादीलाल 2–अनसुईया पत्नी बच्चू 3–होतमसिह 4–वीरी पुत्रगण बच्चू नावालिंग सरपरस्ती मॉ अनसुईया जातिगण जाटव निवासीगण नगलादानी तहसील सैपऊ 5–पिंकी पुत्री बच्चू पत्नी रामनाथ जाति जाटव निवासी नगलादानी हाल टांडा 6–रेखा पुत्री बच्चू पत्नी डरूआ जाति जाटव निवासी नगलादानी हाल टांडा 7–रिंकी पुत्री बच्चू पत्नी रविन्द्र जाति जाटव निवासी नगलादानी हाल टांडा 8–पूजा पुत्री बच्चू नाबा0 सरपरस्ती मां अनुसुईया जाति जाटव निवासी नगलादानी तहसील सैपऊ

.....वादीगण

बनाम

1–रामनरेश पुत्र फद्दी जाति जाटव निवासी करीमपुर हाल मौहल्ला किरी बाडी 2–महेश पुत्र फद्दी जाति जाटव निवासी करीमपुर 3–सीताराम 4–मोरा पुत्रगण किशोर 5–भगवानदेई पत्नी राधे 6–धीरसिह पुत्र राधे जातिगण जाटव निवासीगण करीमपुर 7–चोबा पुत्र चोखरिया जाति जाटव निवासी करीमपुर हाल आबादी धनोली आगरा 8–कप्तान पुत्र गिरधर जाति जाटव 9–रामवीर पुत्र ल्होरे जाति जाटव निवासीगण करीमपुर हाल नई आबादी धनोली आगरा 10–कमलसिह पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी करीमपुर 11–बहादुर पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी करीमपुर हाल सेंन्ट्रल जेल आगरा 12–देवेन्द्र पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी करीमपुर 13–रामदुलारी पुत्री नत्थी पत्नी दुर्गसिह जाति जाटव निवासी करीमपुर हाल श्रीनगर तहसील रूपवास 14–रामा पुत्री नत्थी जाति जाटव निवासी करीमपुर 15–सिया पुत्री नत्थी पत्नी रामसहाय जाति जाटव निवासी आनन्दापुरा 16–किरनदेई पुत्री कुन्दन जाति पत्नी हरीसिह जाति जाटव निवासी भाकर 17–अमृतलाल पुत्र ईश्वरी जाति जाटव निवासी करीमपुर 18–जगदीश 19–दुर्गसिह 20–सुरेश पुत्रगण रामचरन जातिगण जाटव निवासीगण करीमपुर 21–प्रेम पुत्री रामचरन पत्नी गंगाराम जाति जाटव निवासी करीमपुर हाल भवनपुरा 22–कमलेश पुत्री रामचरन पत्नी निहालसिह जाति जाटव निवासी बारह खम्बा 23–रामबेटी पुत्री रामचरन पत्नी ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी बारहखम्बा तहसील व जिला धौलपुर
24–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88,188आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *योगेशकुमार शर्मा एडवोकेट* ..... (वादीगण)

निर्णय दिनांक 31.07.2019

वादीगणो द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 330 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा स्थित वाकेग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ के शंकरिया पुत्र सुखुआ जाति चमार 1/2 भाग के , कुन्दन, किशोर पुत्रगण पृथ्वी 1/4 भाग के, चोबा पुत्र चोंखरिया, कप्तान पुत्र गिरवर, रामवीर व लोंगा पुत्रगण ल्होरे सामूहिक रूप से 1/8 भाग के, नत्थी पुत्र ग्यासी 1/8 भाग के समस्त जातिगण चमार निवासीगण करीमपुर अभिलिखित खातेदार काश्तकार थे वादी संख्या 1 रामदास से, वादी संख्या 2लगायत 8 के पति व पिता बच्चू ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र तारीखी 27.08.1983 शंकरिया, किशोर, चोबा, कप्तान, रामवीर, लोंगा व नत्थी से विवादग्रस्त आराजी में उनका निहित सम्पूर्ण हिस्सा 7/8 भाग बिलएवज 12,000रूपये में विधिवत रूप से क्रय किया था तथा विवादित आराजी का स्वत्व व कब्जा प्राप्त किया था । बच्चू पुत्र परसादीलाल जाति जाटव का निधन हो चुका है स्व. बच्चू के वारिसान एवं उत्तराधिकारी वादी संख्या 2 लगायत 8 है जो बच्चू द्वारा विवादित आराजी में छोडे गये समस्त तर्के पर काबिज काश्त है। वर्तमान में वादीगण विवादित आराजी के 7/8 भाग के अधिकारी खातेदार है तथा काबिज काश्त होकर सामूहिक रूप से फसल प्राप्त कर रहे है। विवादित आराजी में 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार कुन्दनसिंह पुत्र पृथ्वी जाति चमार निवासी करीमपुर था जिसका निधन हो चुका है स्व0 कुन्दनसिंह के वारिस एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 23 है। वादीगण संख्या 1 लगायत 8 के भाई, पति व पिता स्व0 बच्चू पुत्र परसादीलाल जो कि परिवार के मुखिया थे ने विवादित आराजी के विक्रय पत्र को विक्रय पत्र पंजीयन के पश्चात नामा0 हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था। तथा वादीगण इस आश्वासन मे रहे कि उनका नामा0 खुल चुका है लेकिन तत्कालीन पटवारी ने विक्रय पत्र के आधार पर वादी संख्या 1 व स्व0 बच्चूसिह के पक्ष में नामा0 नही खोला। अब प्रतिवादीगण के मन में बदनीयत आ चुकी है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 12 लगायत 15 वादीगण को विवादित आराजी से बैदखल करना चाहते है तथा वादीगण से आमादा फिसाद है। प्रतिवादीगण ने अर्सा करीव 1 माह पूर्व वादीगण से एलानियां इजहार किया है कि वे वादीगण को विवादित आराजी से बैदखल करेगें काश्त नही करने देगें, आयन्दा वे ही काश्त करेगें वादीगण ने उन्हे रोकने की कोशिश की तो वे विवादित आराजी को किसी लट्ठ व चलाव वाले व्यकित के पक्ष में अंन्तरित कर देगें। प्रतिवादीगण को उपरोक्त धमकी से व्यथित होकर वादीगण ने विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड का जरिये अधिवक्ता अवलोकन करवाया तो अवलोकन करवाये जाने से प्रथम बार ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी पर जरिये विक्रय पत्र नामा0 नही खुला है। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में आज भी विक्रेतागण व उनके वंशज के नाम है। विक्रेता शंकरिया का निधन हो चुका हैं। उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 है। विक्रेता किशोर का निधन हो चुका है किशोर के वारिस एंव उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 है। विक्रेता लोंगा का लाऔलाद निधन हो चुका है। नत्थी के वारिस एंव उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 है। वादीगण के लिये उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि वादी संख्या 1 जरिये विक्रय पत्र 7/16 भाग का तथा वादी संख्या 2 लगायत 8 सामूहिक रूप से

7/16 भाग के स्वत्व उद्घोषित करवायें तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त हिस्सानुसार खातेदारी इन्द्राजात अंकित करवायें जिसके वादीगण अधिकारी एंव दांवेदार है।

अंन्त में निवेदन किया है कि विवादित आराजी में वादी संख्या 1 को 7/16 का तथा वादी संख्या 2 लगायत 8 को सामूहिक रूप से 7/16 भाग का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त हिस्सानुसार खातेदारी इन्द्राजात अंकित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावें कि वे वादीगण के हिस्से में आई आराजी से बैदख लना करें, और नाही काश्त करने रोंके, एंव ना कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंन्दाजी उत्पन्न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षी कार्यवाही अमल में लायी गई । विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा अपने साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 1 रामदास को परीक्षत कराया है और दस्तावैजी साक्ष्य में जमावन्दी संवत 2067–69 खाता संख्या 133प्रदर्श–1, जमावन्दी संवत 2046–49 खाता संख्या 172 प्रदर्श–2, जमावन्दी संवत 2042–45 प्रदर्श–3, बयनामा तारीखी 27.08.1983 प्रदर्श–4 प्रस्तुत किये है और वादी ने अपनी जिरह में मोखिक एंव दस्तावैजी साक्ष्य से अपने दावे को पूर्ण किया है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 330 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा वाके ग्रम करीमपुर तहसील सैपऊ में 7/8 भाग हिस्सा जरिये पंजीवद्व कय किया है। बयनामा के आधार पर शपथग्रहीता एंव वादी संख्या 2 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजी एंव दस्तावेजी साक्ष्य तथा न्यायिक दृष्टांन्तो का अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वादीगण को विवादित आराजी में 7/8 भाग के खातेदार काश्तकार घेषित करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 330 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा वाके ग्रम करीमपुर तहसील सैपऊ में 7/8 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती करते हुये वादी का नाम 7/8 भाग पर बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिंह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ